



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940
No. 26]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 26(अ).—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में,-
 - गुजरात से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (2) में '3000' अंकों के स्थान पर अंक '5000' रखे जाएंगे;
 - कर्नाटक से संबंधित क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ (2) में '1500' अंकों के स्थान पर अंक '2000' रखे जाएंगे।

[फा.सं. एन-15011/73/2018-उप विधि सलाहकार(एन)]

ज्योया हाडके, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 14.02.1956 के सं. का.नि.आ. 324 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 23 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 815(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2019

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Notaries Rules, 1956, —
- (i) against serial number 4 relating to Gujarat, in column (2), for the figures “3000”, the figures “5000” shall be substituted;
 - (ii) against serial number 9 relating to Karnataka, in column (2), for the figures “1500”, the figures “2000” shall be substituted.

[F.No. N-15011/73/2018-DLA (N)]

ZOYA HADKE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and were last amended *vide* notification number G.S.R 815(E), dated the 23rd August, 2018.